भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1075

08 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

हरित इस्पात को बढ़ावा देना

1075. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:
श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन की मात्रा पर सरकार द्वारा निगरानी रखी जाती है और यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में इस्पात संयंत्रों द्वारा छोड़े जाने वाले उत्सर्जन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार डीकार्बोनाइज्ड इस्पात या हरित इस्पात का उत्पादन करने हेतु उद्योग को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा वर्ष-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) हरित इस्पात के बाजार का विस्तार करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) को यथा सूचित भारत की पहली, दूसरी तथा तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्टों (बीयूआर) के अनुसार वर्ष 2010, 2014 तथा 2016 में लौह एवं इस्पात क्षेत्र से सीओ2 का उत्सर्जन क्रमशः 95.998 मिलियन टन, 154.678 मिलियन टन और 135.420 मिलियन टन था।

(ख)और(ग): जी हाँ, इस्पात मंत्रालय वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, अल्पावधि (वित्त वर्ष 2030) में, ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

देते हुए इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर बल दिया जा रहा है। मध्यावधि (2030-2047) में ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर के इस्तेमाल, उपयोग एवं भंडारण पर बल दिया गया है। दीर्घावधि (2047-2070) में, परिवर्तनकारी वैकल्पिक प्रौद्योगिकीय नवाचार निवल शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, इस्पात मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ निरतंर संपर्क में है।

इस्पात उद्योग में अकार्बनीकरण को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 इस्पात निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए स्वदेशी रूप से उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है।
ii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन तथा उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। इस्पात क्षेत्र को भी इस मिशन में एक हितधारक बनाया गया है।
iii. मोटर वाहन (वाहन विखंडन सुविधा का पंजीकरण एवं कार्य) नियम सितंबर, 2021 इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाएगा।
iv. एमएनआरई द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है।
v. नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी एफीशिएन्सी के अंतर्गत परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना ऊर्जा खपत को कम करने के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करती है।
vi. इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण परियोजनाओं में वैश्विक रूप से उपलब्ध श्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकियों (बीएटी) को अपनाया है।
vii. जापान के नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) की ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु मॉडल परियोजनाओं को इस्पात संयंत्रों में कार्यान्वित किया गया है।

(घ): मंत्रालय, विनिर्माताओं में हरित इस्पात के लिए उभर रहे बाजार के संबंध में जागरुकता बढ़ाने पर बल दे रहा है।

****